महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या- 09 /2018 / 788ए /46-3-18-3(40)/2004

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त ,
उ.प्र. लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2018

विषयः- चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 को वर्ष 2007 में तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप, पूर्व में गन्ना परिवहन पर अतिरिक्त व्यय की शासकीय प्रतिपूर्ति किये जाने की दी गयी सुविधा को, वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्गत पूर्व शासनादेशों क्रमशः संख्या-1631(1)एस.सी./18-2-2004-57/2004, दिनांक 24.08.2004, शासनादेश संख्या-2591 एस.सी./18-2-2004-57/2004, दिनांक 17.12.2004 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-3927 सी.डी./46-3-04-3(40)/2004, दिनांक 07.06.2005 तथा शासनादेश संख्या-1965 एस.सी./18-2-2006-185/2006 दिनांक 14.11.2006 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2509 सी.डी./46-3-06-3(40)/2004, दिनांक 29.12.2006 तथा चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 को वर्ष 2007 में तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1216 एस.सी./18-2-2007-185/2006, दिनांक 04.06.2007 एवं तद्नुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-687/46-2-18-185/06 टी.सी.-4, दिनांक 19.04.2018 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के संबंध में निर्गत अद्यतन शासनादेश संख्या-687/46-2-18-185/06 टी.सी.-4, दिनांक 19.04.2018 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने विषयक शासन के पूर्व निर्णय व तद्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 04 जून, 2007 के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष याचिकायें योजित की गयी है। तद्क्रम में रिट याचिका संख्या-1853/2009 एवं संख्या-1854/2009 बजाज हिन्दुस्थान लि.-बनाम-उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2014 तथा उसके विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से योजित की गयी विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) अपील संख्या-7121-7122/2017 उ.प्र. राज्य-बनाम-एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज में, मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के दृष्टिगत, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2018 पर पुनर्विचार हेतु रिव्यू पिटिशन योजित की जाय तथा चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 के अन्तर्गत दी गई छूटों/रियायतों के संबंध में उल्लिखित शासनादेशों/अधिसूचनाओं को न्याय विभाग से परामर्श लेते हुए वापस किये जाने की कार्यवाही की जाय।

3- इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 व उक्त नीति के अन्तर्गत निवेश करने वाली कम्पनियों/चीनी मिलों को नीति में उल्लिखित शर्तो की पूर्ति किये जाने की दशा में, नयी चीनी मिलों की स्थापना अथवा क्षमता विस्तार करने वाली कम्पनियों/इकाइयों को वाह्य क्रय क्रेन्द्रों से चीनी मिल परिसर तक अतिरिक्त गन्ना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिवहन व्यय की शासकीय प्रतिपूर्ति किये जाने की सुविधा, उपर्युक्त शासनादेश संख्या-3927 सी.डी./46-3-04-3(40)/2004, दिनांक 07.06.2005 तथा शासनादेश संख्या-2509 सी.डी./46-3-06-3(40)/2004, दिनांक 29.12.2006, द्वारा (नीति के प्रभावी रहने की तिथि अर्थात दिनांक 01.04.2004 से दिनांक 31.03.2008 तक) प्रदान की गयी थी। कालान्तर में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-1216 एस.सी./18-2-2007-185/2006, दिनांक 04.06.2007 द्वारा, "चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004" को, तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जा चुका है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1216 एस.सी./18-2-2007-185/2006, दिनांक 04.06.2007 द्वारा, "चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004" को, तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जा चुका है, जिसके दृष्टिगत चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 व उक्त नीति के अन्तर्गत निवेश करने वाली कम्पनियों/चीनी मिलों को नीति में उल्लिखित शर्तो की पूर्ति किये जाने की दशा में, नयी चीनी मिलों की स्थापना अथवा क्षमता विस्तार करने वाली कम्पनियों/इकाइयों को वाह्य क्रय क्रेन्द्रों से चीनी मिल परिसर तक अतिरिक्त गन्ना परिवहन व्यय की शासकीय प्रतिपूर्ति किये जाने की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-3927 सी.डी./46-3-04-3(40)/2004, दिनांक 07.06.2005 तथा शासनादेश संख्या-2509 सी.डी./46-3-06-3(40)/2004, दिनांक 29.12.2006 को, शासनादेश दिनांक 04 जून, 2007 अर्थात् चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति-2004 की समाप्ति की तिथि से निष्प्रभावी (deemed ineffective) हो जाने के दृष्टिगत, एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। कृपया तद्नुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-395 /दस-2018, दिनांक 16 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-09 /2018/788ए(1)/46-3-18-3(40)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. विशेष सचिव/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in